



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

पी.एस. सिंह

P.S. SINGH

वित्ताधिकारी

FINANCE OFFICER

दूरभाष /Phone : + 91-7152-230906

फैक्स /Fax : + 91-7152 232994

फा.सं.: 002/2012/निर्गत/2013-14/10/ 26

दिनांक :- 05.08.2015

परिपत्र

विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ/केंद्र/विभाग/अनुभाग के प्रमुख को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी विभाग यथासंभव हर क्षेत्र में मितव्ययिता की नीति अपनाएँ। चूँकि बिजली के बिल को कुछ हद तक कम करना हमारे हाथ में है। अतः आपका बिजली बिल कम करने की दिशा में बढ़ाया गया हर कदम विश्वविद्यालय के लिए एक सराहनीय कार्य होगा। अतः अपने विभाग के सभी कर्मचारियों को यह निर्देशित करें कि वे आवश्यकतानुसार ही बिजली का उपयोग करें एवं अपना स्थान छोड़ते समय यह पूर्णतः सुनिश्चित करें कि ए.सी., लाइट, पंखे, कंप्यूटर आदि बंद हों ताकि अनावश्यक बिजली अणव्यय एवं उसके अतिशय बिल में कमी आ सके।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।

(पी.एस. सिंह)

प्रतिलिपि: सभी विद्यापीठ/केंद्र/विभाग/अनुभाग : वेबसाइट के माध्यम से